

D-190

**पंचनामा
(चावल के सैम्पल लेने का)**

- थाना एसीबी/ई.ओ.डब्ल्यू रायपुर - जिला रायपुर (छ.ग.)
अपराध क्र. 09/2015 - धारा 13 (1) डी 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, 109, 120बी भादवि.
- दिनांक समय स्थान पंचनामा - 30.03.2015 के 10.30 बजे से 17.30 बजे तक
एसडब्ल्यूसी सारंगढ़ जिला रायगढ़
- नाम पंचसाक्षी - (1) श्री अवनीश कुमार टण्डन पिता श्री उदयराम टण्डन उम्र 30 वर्ष शाखा प्रबंधक कम तकनीकी सहायक एसडब्ल्यूसी सारंगढ़ स्थाई पता- ग्राम व पोस्ट गढ़उमरिया थाना जुटमिल जिला रायगढ़ मो. 08717863132
(2) श्री राजेश कुमार सिदार पिता स्व. मकरद्वज सिंह सिदार उम्र 36 वर्ष कनिष्ठ सहायक एसडब्ल्यूसी सारंगढ़ स्थाई पता- बाबाकुटी थाना व तह. सारंगढ़ जिला रायगढ़। मो. 09691971550
- सैम्पल लेने वाले अधिकारी - 1. श्री नरेन्द्र वसावा पिता स्व. श्री चंपक भाई वसावा उम्र 47 वर्ष प्रबंधक (गुण नियंत्रण) भारतीय खाद्य निगम सक्ती जिला जांजगीर चांपा छ.ग. मो. 08518999935
स्थायी पता:- ए.ए.-8, शिखर बंगलोस, भोलाव, भरुछ गुजरात।
2. श्री अजय प्रताप सिंह पिता श्री कृष्ण कुमार सिंह उम्र 28 वर्ष तकनीकी सहायक भारतीय खाद्य निगम रायगढ़ छ.ग. मो. 08602222077
स्थायी पता:- जुगराजपुर, जरोवा, हरदोई, उत्तर प्रदेश पिन- 241304
- किनके उपस्थित में पंचनामा तैयार किया गया - श्री एम.आर. देवांगन पिता स्व. श्री विशाल देवांगन उम्र 52 वर्ष जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम रायगढ़ छ.ग. मो. 08817903512
स्थायी पता:- एमआईजी 2/312 सेक्टर 2 दिनदयाल उपाध्याय नगर रायपुर।
- पंचनामा तैयार करने वाले अधिकारी का नाम पद - प्रमोद कुमार खेस, निरीक्षक एन्टी करप्शन ब्यूरो कार्यालय बिलासपुर

विवरण

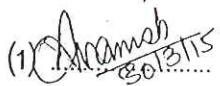
एसडब्ल्यूसी - सारंगढ़, जिला रायगढ़।

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थली)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

क्र.	गोदाम नंबर	स्टेक नंबर	कुल बोरियां	खरीफ वर्ष
1.	05	02	3240	2014-15

आज दिनांक 30.03.2015 को उपरोक्त प्रकरण में पुलिस अधीक्षक एन्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर के पत्र क./अपराध/अनु0-09 (15)/971/2015 रायपुर दिनांक 24.03.2015 के परिपालन में नागरिक आपूर्ति निगम रायगढ़ के द्वारा रखे गये चावल का सैम्पल लेने के लिए उपरोक्त क्वालिटी चेक अधिकारियों के साथ एसडब्ल्यूसी सारंगढ़ जिला रायगढ़ के गोदाम नंबर 05 के स्टेक नंबर 02 से जिसपर कुल 3240 बोरियां रखी गई है जिसका खरीफ वर्ष 2014-15 है का रेन्डमली आधा-आधा किलो ग्राम का तीन-तीन सैम्पल लिया जाकर मौके पर ही उपरोक्त गवाहों के समक्ष परीक्षण कराने बाबत पृथक-पृथक कपड़ों के थैली में भरकर मौके पर सीलबंद किया गया एवं जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम रायगढ़ श्री एम.आर. देवांगन से पूछने पर उक्त स्टेक नंबर में पांच राईस मिलरों (1.) लक्ष्मीनारायण राईस मिल के एक लॉट 3236, (2.) कृष्णा राईस मिल के एक लॉट 2247 (3.) माँ चन्द्रहासनी राईस मिल के चार लॉट 1932, 1933, 1936, 1939 के चावल होना बताया गया। इसपर मौके पर ही लेबरों के माध्यम से उक्त स्टेक के चावलों को बाहर निकालकर सभी राईस मिलरों के चावल को उनके लॉट नंबर के तहत पृथक-पृथक थपी लगाया जाकर सभी राईस मिलरों के चावलों का पुनः पृथक-पृथक रेन्डमली आधा-आधा किलो ग्राम के तीन-तीन सैम्पल्स क्वालिटी चेक अधिकारियों के द्वारा परीक्षण कराने बाबत निकाला जाकर पृथक-पृथक कपड़े के थैलियों में भरकर मौके पर ही गवाहों के समक्ष सीलबंद किया गया तथा दो-दो सैम्पल परीक्षण हेतु क्वालिटी चेक अधिकारियों के द्वारा अपने कब्जे में रखे तथा सभी के एक-एक सैम्पल ऑफिस कापी हेतु जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम रायगढ़ को दी गई।

हस्ताक्षर गवाह

(1)  30/3/15

(2)  30/3/15

हस्ताक्षर क्वालिटी

चेक अफिसर

(1)  30/3/15
(2)  30/3/15

हस्ताक्षर जिला प्रबंधक

ना. आ. नि. रायगढ़

 30/03/15
पंचनामा तैयार करने वाले
अधिकारी का हस्ताक्षर

सत्यापित प्रति

(एस.डी. देवरथलें)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू/ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)